e-mail

<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 1141 /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2022-23, दिनांक 02.03.2022

<u>विषयः-</u> **<u>पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) व सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना(राज्य योजना) अन्तर्गत योजना के वाहनों के परिचालन के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के परिपत्र संख्या-1691/सा0-एक एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2021-22, दिनांक 12.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम् से शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय(आउट सोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केटप्लेस, **जेम(GeM)** की व्यवस्था में दिये गये निर्देशों/प्राविधानों के अनुरूप ***बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना)*** व ***सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना(राज्य योजना)*** के वाहनों के परिचालन हेतु वाहन चालकों की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) व ***सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना(राज्य योजना)*** को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में जनपदीय अधिकारियों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर बार-बार दूरभाष पर पृच्छायें की जा रही है। जनपदीय अधिकारियों की सन्दर्भित पृच्छाओं के अनुक्रम में, उक्त योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 में समुचित कियान्वित करने हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र दिनांक 12.03.2021 के अनुक्रम में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त योजनाओं के कियान्वयन हेतु शासन द्वारा बजट की व्यवस्था कर दी गई है।
- कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2 /2019, दिनांक 18 दिसम्बर,2019 द्वारा शासकीय विभागों एवं अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय(आउट सोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केटप्लेस, **जेम(GeM)** की व्यवस्था में दिये गये निर्देशों/ प्राविधानों के साथ-साथ जेम पोर्टल से मैनपावर आउट सोर्सिंग के क्रय/व्यवस्था हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम् उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के निर्गत शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 07.12.2020

एवं शासनादेश संख्या-3/2021/103/18-2-2021-97(ल0अ0)/2016टी0सी0-1, दिनांक 19.02.2021 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ***बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना)*** व ***सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना(राज्य योजना)*** के वाहनों के परिचालन हेतु वाहन चालकों की व्यवस्था, आउट सोर्सिंग के माध्यम् से नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी समयबद्ध रूप से करना सुनिश्चित् करें।

- ***फर्मों के चयन के सापेक्ष पूर्व में शासन द्वारा अनुमोदित/उपलब्ध कराये गये अनुबन्ध-पत्र के प्रतिदर्श विलेख एवं शासनादेश दिनांक 18.12.2019 में प्रदत्त शर्तों/दशाओं के अनुसार ही वाहन चालकों के ई.पी.एफ. व ई.एस.आई., पारिश्रमिक आदि का नियमित/समय से भुगतान किये जाने का, सेवा प्रदाता से निष्पादित होने वाले अनुबन्ध में अवश्य उल्लेख किया जाये। साथ ही उक्त भुगतान का नियमित अनुश्रवण भी किया जाये।***
- योजना के कियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गई मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप योजना का कियान्वयन किया जाय। उक्त मार्ग-निर्देशिका में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष किसी भी प्रकार के विचलन की दशा मे आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- **योजना की गाईड-लाईन एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का संज्ञान लेते हुये इन वाहनों को योजना से इतर अन्य कार्यों में कदापि न लगाया जाये।**
- यदि योजना के वाहनों का आप द्वारा अन्यत्र उपयोग किया जायेगा तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- मार्ग-निर्देशिका मे निर्देशित किया गया है कि, ***"योजना के वाहनों का परिचालन, रूट निर्धारित कर किया जायेगा। निर्धारित रूट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।"*** वाहनों का रूट चार्ट तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित् करें।
- **प्रत्येक वाहन के परिचालन अन्तर्गत लागबुक की व्यवस्था एवं प्रविष्टियों को समुचित रूप से इन्द्राज/उल्लेख कराया जाये।**
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के कियान्वयन हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि की मांग का प्रस्ताव ई-मेल-**jddchq@gmail.com** पर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये योजना के कियान्वयन अन्तर्गत वांछित सूचना एवं मासिक प्रगति समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

भवदीय,

(डा0 जीवन दत्त)

निदेशक,

रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

MULTI PURP MOB SERVI

पत्रांक /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2022-23, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।

(डा0 जीवन दत्त)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

MULTI PURP MOB SERVI